कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा

सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)
(फोन - 0771-2636413 फैक्स - 0771-2263412)
(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक 3148/118/आउशि/समन्वय/2015 नया रायपुर, दिनांक 14/08/2015

प्रति,

1- कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
छत्तीसगढ़.

2- प्राचार्य,
समस्त अग्रणी महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़.

विषय :- प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा कृषि एवं संबद्ध विज्ञान के पाठयक्रमों में प्रवेश अथवा अध्यापन कार्य संचालित कराने पर रोक लगाने के संबंध में।

-----000-----

उपरोक्त विषयांतर्गत कुलसचिव, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर का पत्र कमांक-शैक्ष-1/35/2015/1760 दिनांक 16.07.2015 की छायाप्रति सहपत्रों सहित संलग्न कर भेजी जा रही है। उक्त पत्र के माध्यम से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के अधिनियम एवं परिनियम के अनुसार कोई भी अन्य विश्वविद्यालय/संस्था छत्तीसगढ़ प्रदेश में कृषि एवं सम्बद्ध विज्ञानों में शिक्षण, अध्यापन एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करने हेतु सक्षम/अधिकृत नहीं होने का लेख किया गया है।

कृपया आप अपने एवं आपके क्षेत्रांतर्गत आने वाले समस्त शासकीय/अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालय/निजी महाविद्यालयों को उक्त पत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुये नियमानुसार दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें तथा पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(डॉ. किरण गजपाल)
संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 3149/118/आउशि/समन्वय/2015 नया रायपुर, दिनांक 14/08/2015

प्रतिलिपि:-

1. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा के निज सहायक, उच्च शिक्षा संचालनालय, नया रायपुर (छ.ग.)।
3. कुलसचिव, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर की ओर पत्र कमांक-शैक्ष-1/35/2015/1760 दिनांक 16.07.2015 के संदर्भ में सूचनार्थ।

संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय

कृषक नगर, रायपुर 492 012 (छत्तीसगढ़)

क्रमांक / शैक्ष–1 / 35 / 2015 / 1760 | रायपुर, दिनांक 16/07/2015

AD(V)

प्रति,

आयुक्त
कार्यालय उच्च शिक्षा विभाग,
ब्लॉक सी–30, द्वितीय एवं तृतीय तल,
इन्द्रावती भवन,
नया रायपुर (छ.ग.)

23 JUL 2015

विषय:— शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा द्वारा इग्नू (IGNOU) अध्ययन केन्द्र–3515 में बी.एस.सी. एग्रीकल्चर संचालित करने के संबंध में ।

—00—

विषयांतर्गत लेख है कि – छत्तीसगढ़ प्रदेश में कृषि एवं सम्बद्ध विज्ञानों में शिक्षण, अध्यापन एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिये केवल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर अधिकृत है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के अधिनियम एवं परिनियम के अनुसार कोई भी अन्य विश्वविद्यालय / संस्था छत्तीसगढ़ प्रदेश में कृषि एवं सम्बद्ध विज्ञानों में शिक्षण, अध्यापन एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करने हेतु सक्षम / अधिकृत नहीं है **(प्रतिलिपि संलग्न)**। इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा समाचार पत्र में जारी / प्रकाशित सूचना की प्रति संलग्न है। वर्तमान में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के अधीन (कृषि शिक्षा के पाठ्यक्रमों में) 16 शासकीय एवं 15 सम्बद्धता एवं मान्यता प्राप्त निजी महाविद्यालय संचालित किये जा रहे है **(महाविद्यालयों की सूची संलग्न)**।

अतः आदेशानुसार अनुरोध है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय / संस्था द्वारा कृषि एवं सम्बद्ध विज्ञानों के पाठ्यक्रमों में प्रवेश अथवा अध्यापन कार्य संचालित कराने पर रोक लगाने के संबंध में शासन स्तर पर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय / संस्था को निर्देश पत्र जारी करने का कष्ट करें।

कुलसचिव

पृ.क्रमांक / शैक्ष–1 / 35 / 2015 / | रायपुर, दिनांक /07/2015

प्रतिलिपि–

मान. कुलपति जी के निज सहायक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर।

कुलसचिव

IGKV/Hindi/2015/140

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिये अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-505/डब्ल्यू. पी.

रजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
122 (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 160] भोपाल, बुधवार, दिनांक 15 अप्रैल 1987—चैत्र 25, शके 1909

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 1987

क्र. 5996-इक्कीस-अ (प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 15 अप्रैल, 1987 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वि. वा. उमरेकर, उपसचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २० सन् १९८७.

इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, १९८७.

विषय-सूची.

अध्याय १—प्रारंभिक.

धाराएं :-

१. संक्षिप्त नाम.

२. परिभाषाएं.

अध्याय २—विश्वविद्यालय.

३. निगमन.

४. विश्वविद्यालय के उद्देश्य.

५. विश्वविद्यालय की शक्तियां.

६. प्रादेशिक अधिकारिता.

७. विश्वविद्यालय को कृषि तथा सम्बद्ध विज्ञानों में शिक्षण, अध्यापन आदि के लिये व्यवस्था करने की अनन्य अधिकारिता होगी.

८. विश्वविद्यालय धर्म, जाति, लिंग, जन्म, स्थान या विचार धारा पर ध्यान दिए बिना सब लोगों के लिये खुला रहेगा.

९. विश्वविद्यालय में अध्यापन.

१०. विश्वविद्यालय का निरीक्षण या उसकी जांच.

अध्याय ३—विश्वविद्यालय के अधिकारी.

११. विश्वविद्यालय के अधिकारी.

१२. कुलाधिपति.

१३. कुलाधिपति की शक्तियां.

१४. कुलपति.

१५. कुलपति को उपलब्धियां तथा सेवा की शर्तें.

१६. कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य.

१७. कुलपति का हटाया जाना.

१८. कुलसचिव.

(ङ) शारीरिक तथा सैन्य प्रशिक्षण ;

(च) खेलों तथा व्यायाम संबंधी क्रियाकलाप ;

(छ) कोई अन्य क्रियाकलाप जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाए.

(२०) अन्य विश्वविद्यालयों तथा प्राधिकरणों के साथ ऐसी रीति में, ऐसी सीमा तक तथा ऐसे प्रयोजनों के लिये, जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहयोग करना ;

(२१) समस्त ऐसे अन्य कार्य तथा बातें करना जो चाहे पूर्वोक्त शक्तियों से आनुषंगिक हों या न हों और जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिये अपेक्षित हों.

प्रादेशिक अधिकारिता.

६. (१) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की गई शक्तियों का विस्तार रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बालाघाट, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा एवं बस्तर (जगदलपुर) राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्रों पर होगा.

(२) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी महाविद्यालय या शिक्षण संस्था को, जो पूर्वोक्त सीमाओं के भीतर स्थित हो और जो कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विज्ञानों में स्नातक उपाधि के लिये और/या उससे ऊपर का शिक्षण प्रदान करती हो, भारत में विधि द्वारा निगमित किसी अन्य विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार से सहयुक्त नहीं किया जाएगा और न उसको कोई विशेषाधिकार ही दिया जाएगा और कोई भी ऐसा विशेषाधिकार, जो किसी ऐसे अन्य विश्वविद्यालय द्वारा उन सीमाओं के भीतर स्थित किसी शिक्षण संस्था को इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व दिया गया हो, इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर प्रत्याहृत हो गया समझा जाएगा और ऐसी संस्थाएं उस तारीख तक, जिसको कि वे धारा ५७ के अधीन विश्वविद्यालय को अन्तरित की जाए विश्वविद्यालय से सम्बद्ध रहेंगी.

(३) जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से पूर्वोक्त सीमाओं के भीतर कृषि तथा सम्बद्ध विज्ञानों के क्षेत्र में हाथ में लिये गए या संचालित किए गए अनुसंधान या विस्तार कार्य का विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों के साथ समन्वय तथा उनमें एकीकरण,—

(क) ऐसी तारीख या तारीखों से किया जाएगा जिसे/जिन्हें राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, तथा समन्वय एवं एकीकरण के लिये भिन्न-भिन्न तारीखें विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी; और

(ख) ऐसी रीति में तथा उस सीमा तक किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा बोर्ड के परामर्श से अवधारित किया जाए.

विश्वविद्यालय को कृषि तथा सम्बद्ध विज्ञानों में शिक्षण, अध्यापन आदि के लिये व्यवस्था करने की अनन्य अधिकारिता होगी.

७. (१) विश्वविद्यालय को कृषि तथा सम्बद्ध विज्ञानों में शिक्षण, अध्यापन तथा प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था करने के लिये, धारा ६ की उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट संपूर्ण क्षेत्रों पर अनन्य अधिकारिता होगी और राज्य में के किसी अन्य विश्वविद्यालय के विनियम से संबंधित विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी अन्य विश्वविद्यालय ऐसे क्षेत्रों में कृषि तथा सम्बद्ध विज्ञानों में शिक्षण, अध्यापन तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिये सक्षम नहीं होगा.

(२) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए परिनियमों तथा विनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कृषि महाविद्यालय, रायपुर, कालेज ऑफ डेयरी टेक्नालॉजी रायपुर या पशुचिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन महाविद्यालय, अन्जोरा का कोई भी ऐसा विद्यार्थी, जो २० जनवरी, १९८७ को ठीक पूर्व जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विज्ञानों की किसी परीक्षा के लिये अध्ययन कर रहा था या उसमें बैठने के लिये पात्र था, जैसी भी कि दशा हो, उस परीक्षा की तैयारी के लिये अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, और विश्वविद्यालय ऐसे विद्यार्थियों के लिये पांच वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिये और ऐसी रीति में, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अध्ययन पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण, अध्यापन, प्रशिक्षण तथा परीक्षा की व्यवस्था करेगा.

विश्वविद्यालय धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान * या विचारधारा पर ध्यान दिए बिना सब लोगों के लिए खुला रहेगा.

८. विश्वविद्यालय के लिये यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति को,—

(क) विश्वविद्यालय में कोई पद धारण करने; या

(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य होने; या

(ग) अध्यापक के रूप में नियुक्त किए जाने या सम्मिलित किए जाने ; या

(घ) किसी उपाधि, डिप्लोमा या विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं या पाठ्यक्रम में प्रवेश दिए जाने; या

भोपाल, दिनांक १५ अप्रैल १९८७

क्र. ५९९७-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में, इन्दिरा गांधी कृषि विश्व विद्यालय, अधिनियम, १९८७ (क्रमांक २० सन् १९८७) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वि. बा. उमरेकर, उपसचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 20 of 1987.

THE INDIRA GANDHI KRISHI VISHWA VIDYALAYA ADHINIYAM, 1987.

TABLE OF CONTENTS.

Sections :

CHAPTER I—PRELIMINARY

1. Short title.
2. Definitions.

CHAPTER II—THE UNIVERSITY

3. Incorporation.
4. Objects of University.
5. Powers of University.
6. Territorial jurisdiction.
7. University to have exclusive jurisdiction to provide for instruction teaching, etc., in agriculture and allied sciences.
8. University open to all irrespective of religion, caste, sex, place of birth or opinion.
9. Teaching in University.
10. Inspection or inquiry of University.

CHAPTER III—OFFICERS OF THE UNIVERSITY

11. Officers of University.
12. Chancellor.
13. Powers of Chancellor.
14. Vice-Chancellor.